



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)–249145



कार्यालय :-01376-255230

फैक्स :- 01376-255230

ई-मेल :- eechamba@gmail.com

पत्रांक 703 / 406 / 09 . दिनांक 30 / 07 / 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषय:— Diversion of 0.908 ha. Of forest land for construction of Chamba Nagar (Reorg.) Pumping Drinking Water Supply Scheme (FP/UK/WATER/41746/2019) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 88/12-1, मुनिकीरेती, दिनांक 13.07.2020 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऑनलाईन पोर्टल के पोर्ट-I, के पैरा-B1, में अंकित प्रस्ताव चम्बा मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना है, जिसका प्रश्नगत प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रस्ताव का उल्लेख वर्तमान प्रस्ताव चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना में किया गया है, क्योंकि प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रक्रिया में दिये गये प्राविधानों के निर्धारित कॉलम पर यह जानकारी चाही गयी थी कि इस शाखा के द्वारा पूर्व में कोई प्रस्ताव अपलोड किया गया है तो उसे पोर्ट-I, के पैरा-B1, में अंकित करें। इस कारण पोर्ट-I, के पैरा-B1, के बिन्दुओं पर इस शाखा की चम्बा मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना के पूर्व प्रस्ताव की सूचना अंकित कर ऑनलाईन किया गया। जबकि इस परियोजना का वर्तमान में गतिमान वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव **Diversion of 0.908 ha. Of forest land for construction of Chamba Nagar (Reorg.) Pumping Drinking Water Supply Scheme** से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त दोनों चम्बा मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना एवं चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना एक दूसरे से भिन्न है।

अतः उक्त पर अग्रिम कार्यवाही एवं शीघ्र निराकरण करने की कृपा करें।

भवदीय,


(आलोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपि :- कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता